

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 123

/2025 दिनांक 25.02.2025

श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ00843), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू (जयपुर जिला) को दिनांक 24.03.2025 से 05.04.2025 तक 13 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 22.03.2025 से 23.03.2025 एवं 06.04.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू (जयपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू (जयपुर जिला) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
10/2/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/13/2015/1672

दिनांक 25.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 1150 दिनांक 07.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ00843), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू (जयपुर जिला)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू (जयपुर जिला)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू (जयपुर जिला)।

24/02/25
सहायक रजिस्ट्रार